न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 91 / 2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 महेन्द्र सिंह पुत्र महेश सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 10 नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

बनाम

1 श्रीमती भंवरी कंवर पुत्री खींवसिंह पत्नी बालसिंह निर्वाण जाति राजपूत निवासी डूमरा हाल बारी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
2 श्रीमती मंगन कंवर पुत्री खींवसिंह पत्नी श्योपाल सिंह निर्वाण जाति राजपूत निवासी डूमरा हाल कालूका तहसील खेतड़ी जिला झुंझुंनू।
3 श्रीमती संतोष कंवर पुत्री खींवसिंह पत्नी लक्ष्मण सिंह निर्वाण जाति राजपूत निवासी डूमरा हाल कालूका तहसील खेतडी जिला झुंझुनू।
4 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखिलाफ निर्णय दिनांक 06.06.16 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकदमा उनवानी भंवरी कंवर वगैरह बनाम महेन्द्र सिंह वगैरह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 38 / 2012

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री अनुप गिल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 38/2012 में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 390,1199/1185 के सन्दर्भ में आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस रेस्पोडेंट के अनुपस्थित रहने पर अपीलांट की सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि उत्तराधिकार में मु0 केशरी देवी व भंवर सिंह को प्राप्त हुई थी रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 ने विक्रय पत्र दिनांकित 14.11.2011 को निरस्त करवाने बाबत दावा प्रस्तुत किया था कानून से राजस्व न्यायालय में विक्रय पत्र को निरस्त करवाने का दावा प्रस्तुत नही किया जा सकता। क्योंकि विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को है। इस प्रकार अदालत मातहत ने रेस्पोडेंट की प्लीडिंग से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय जैर बहस निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय जैर बहस में विधि में प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना की है अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निर्णय करने से पूर्व अदालत मातहत ने सुविधा का सन्तुलन, प्रथम दृष्टया मामला तथा अपार क्षति के बिन्दु को अपने निर्णय में उल्लेखित नही किया है इसलिए भी अदालत मातहत का निर्णय विधि के विपरित होने के

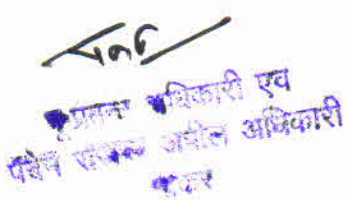

कारण निरस्त होने योग्य है। खसरा नम्बर 390 व 1199/385 के पूर्व खातेदार काश्तकार खींवसिंह की मृत्यु सन् 1986 में होने के पश्चात नामान्तरकरण मु0 केशरी व भंवर सिंह के नाम दर्ज हुआ था रेस्पोडेंट द्वारा यह कहना कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 24.05.1986 की जानकारी न होना दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में गलत अंकित किया है। रेस्पोडेंट द्वारा 25–26 पश्चात दावा प्रस्तुत किया गया है जो मियाद से बाहर है तथा उक्त नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांकित 24.05.1986 को किसी भी तरह से कही भी चुनौती नही दी गई। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है अपील स्वीकार कर निर्णय अपास्त किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पक्षकारों के मध्य हक अधिकार का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के पश्चात होना शेष है। पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। अपीलांट यह स्पष्ट करने में असफल रहा है कि अस्थाई निषेधाज्ञा से उसके अधिकारों पर तात्कालिक रूप से क्या विपरित प्रभाव पड़ रहा है। अपीलांट अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों घटक प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रमाणित करने में सफल नही रहा है। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर